**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -95/2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तरकाशी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तरकाशी के माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अशोक कुमार मीणा ले.प. श्री अनूप कुमार गुप्ता एवं श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 28.10.2017 से 07.10.2017 तक श्री पी.के.गुप्ता लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **(1)**<u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री अनूप कुमार गुप्ता, ले.प. श्री डी.के.श्रीवास्तव एवं श्री एन.के.बंसल सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक.30.04.2015 से 13.05.2015 तक श्री ए.के. भारतीय लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2012 से 03/2015 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2012 से 03/2015 के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः -समस्त उत्तरकाशी सम्बन्धित क्षेत्र
3. (ii) (अ) राजस्व ववरण

वगत 3 वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

| वर्ष | अर्जित राजस्व ( लाख मे) |
|---|---|
| 2014-15 | 1771.00 |
| 2015-16 | 2091.12 |
| 2016-17 | 1533.02 |

(ii)(स) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः( लाख में)

| | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आ धक्य (`) | | बचत (`) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थाप ना | आवंटन (`) | व्यय (`) | आवंटन (`) | व्यय (`) | | | |
| 2014-15 | - | - | 3766000 | 2692599 | - | - | - | - | 1073401 |
| 2015-16 | - | - | 4143000 | 3767773 | - | - | - | - | 375227 |
| 2016-17 | - | - | 5480000 | 3347159 | - | - | - | - | 2132841 |

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष ` | प्राप्त ` | व्यय अ धक्य (+) ` | बचत (-) ` |
|---|---|---|---|---|---|
| शून्य | | | | | |
| | | | | | |

**(iii)**इकाई को बजट आवंटन बजट आवन्टन नहीं प्राप्त होता है। गैर स्थापना राजस्व संग्रह को सम्मि लत न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

**(iv)** वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

वत्त स चव **>** आयुक्त कर, वा णज्य कर**>** ज्वाइंट क मश्नर, वा णज्य कर**>** डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वा णज्य कर**>** वा णज्य कर अ धकारी,

4. **(V)** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तरकाशी को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण

प्रतिवेदन सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: माह 10/2015 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

व्यय: डी.डी.ओ कार्य नहीं कया जाता

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 ब

प्रस्तर-01 निय मत कर निर्धारण में अनु चत लाभ दिये जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹3.35 लाख।

शासनादेश संख्या: 380/ 2013/ 02(120)/ **IXXVII(8)/ 2013** दिनांक 28.03.2013 के अनुसार स वल सं वदाकारों के संबंध में बिन्दु संख्या 8 पर स्पष्ट कया गया है क समाधान योजना को अपनाने वाले सं वदाकार या उप सं वदाकर को यह योजना वैकल्पिक होगी। जो सं वदाकार इसे नहीं अपनाएँगे उसका निय मत कर निर्धारण कया जाएगा। जो सं वदाकार देय व्यापार कर के स्थान पर धारा 7 की उपधारा (2) में समाधान रा श जमा करने का वकल्प अपनाना चाहते है वे इस हेतु निर्धारित प्रारूप 723 में प्रार्थना पत्र सं वदा की ति थ से 90 दिन के अंदर अपने कर निर्धारण अ धकारी को प्रस्तुत करेंगे। सं वदा के निष्पादन के संबंध में प्राप्त कए गए भुगतान पर उपरोकतानुसार अग णत समाधान रा श प्रार्थना पत्र के साथ जमा की जाएगी। निर्धारित अव ध में वकल्प प्रस्तुत न कए जाने की दशा में उसे अगले 90 दिन के अंदर देय समाधान रा श तथा उस पर 15% वा र्षक की दर से देय ब्याज सहित प्रस्तुत कया जा सकेगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त,(क.नि.) राज्य कर, उत्तरकाशी के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क सर्वश्री देवाय बिल्डर्स टिन 05008987075 द्वारा वर्ष 2012-13 में ₹14759747 प्राप्त कया गया था। इसमें से वर्ष 2011-12 के लए ₹7129165 प्राप्त कया गया था तथा वर्ष 2012-13 के लए ₹7630582 प्राप्त करना दर्शाया गया था। वर्ष 2012-13 की प्राप्ति ₹7630582 को समाधान योजना से बाहर रखते हुए कर निर्धारण निम्न अनुसार कया गया था।

प्राप्त धनरा श -₹7630582
मजदूरी - ₹2289174
शेष रा श- ₹5341408
प्रांतीय खरीद- ₹2100017
कर योग्य रा श - ₹3241391
रेता-बजरी- ₹3000000 × 5% = ₹150000
सीमेंट- ₹241391 × 13.5% = ₹32590
कुल निर्धारित कर- ₹182590

वर्ष 2012-13 से संबन्धित बॉन्ड के सापेक्ष प्राप्त धनरा श ₹7630582 को कर निर्धारण अ धकारी द्वारा समाधान वकल्प न लेने के कारण समाधान योजना से बाहर करते हुए निय मत कर निर्धारण कया गया था। जिसमे सं वदाकार द्वारा ₹2100017 की सामाग्री प्रान्त के अन्दर से क्रय कया जाना स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अ धकारी द्वारा सकल प्राप्त भुगतान में से घटा दी गयी थी जब क प्रान्तीय कर प्रदत्त माल को ही सकल प्राप्त भुगतान से घटाया जाना अपे क्षत था। खरीद सूची व बिल संलग्न न होने के कारण उसका लाभ दिया जाना अपे क्षत नहीं था। इसका कर निर्धारण इस प्रकार होना अपे क्षत था-

प्राप्त धनरा श -₹7630582
30% मजदूरी - ₹2289175
कर योग्य रा श-₹5341407
रेता-बजरी- ₹2670704 × 5% = ₹133535
सीमेंट- ₹2670703 × 13.5% = ₹360545
कुल निर्धारित कर- ₹494080
निर्धारित कर में कमी- ₹494080 - ₹182590 = ₹311490
इस प्रकार सं वदाकार द्वारा ₹334632 (₹311490 + ₹23142) जमा कराया जाना अपे क्षत रहेगा।

वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क 1% के समाधान रा श के संबंध में बॉन्ड की कॉपी व्यापारी से प्राप्त कर उपलब्ध करा दी जाएगी तथा जाँचोपरांत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः राजस्व क्षति ₹3.35 लाख का प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर-02 बिक्री कम प्रद र्शत कए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹0.59 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 3(1) के अनुसार कसी व्योहरी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर कए गए प्रत्येक वक्रय पर इस अ धनियम के उपबन्धों के अंतर्गत कर आरो पत कया जाएगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि) राज्य कर उत्तरकाशी के अ भलेखों की जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री शवा एंड कंपनी ( टिन 05003620938 ) द्वारा वर्ष 2013-14 के वत्तीय ववरण में 13.5% की वस्तु की स्थिति निम्न अनुसार प्रद र्शत की गयी है।

प्रारम्भिक रहतिया- ₹798380
वर्ष के दौरान खरीद- ₹3444034
वर्ष के अंत में अवशेष स्टॉक- ₹1066930
अतः बिक्री (लाभ रहित) = प्रारम्भिक रहतिया + वर्ष के दौरान खरीद - वर्ष के अंत में अवशेष स्टॉक
= ₹798380 + ₹3444034 - ₹1066930
= ₹3175484
व्यापारी द्वारा वर्ष के दौरान प्रद र्शत बिक्री = ₹2738544
अतः कम प्रद र्शत बिक्री = ₹3175484 - ₹2738544 = ₹436940

अतः व्यापारी पर कम प्रद र्शत बिक्री पर ₹58987 (₹436940×13.5%) का कर आरोपणीय है तथा जमा करने की ति थ तक नियमानुसार ब्याज भी देय है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरांत नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर-03 कर का न्यूनरोपण ₹ 0.41 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार कसी भी अनुसूची में सम्मि लत माल से भन्न माल के संबंध में 13.5% की कर देयता होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त,(क.नि.) राज्य कर, उत्तरकाशी के अ भलेखों की जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री च्वाइस इंटरप्राइजेज़ टिन 05001006843 1 द्वारा वर्ष 2013-14 में कोल्ड ड्रंक की बिक्री करते हुए 5% की दर से कर अदा कया गया था। जब क कोल्ड ड्रंक कसी भी अनुसूची में सम्मि लत माल से भन्न माल होने के कारण इस पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय था।

अतः वर्ष के दौरान कोल्ड ड्रंक की बिक्री ₹487388 पर अंतरीय कर 8.5% की दर से ₹41428 कर आरोपणीय है तथा इस पर जमा करने की ति थ तक नियमानुसार ब्याज भी देय है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरांत नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|
| CT-04/2012-13 | - | 01,02,06,07,08,09 |
| CT-04/2015-16 | - | 01,04 |

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

**(1)** राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

**(2)** व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तरकाशी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| (i) | श्री मनीष मश्रा | सहायक आयुक्त |
| (ii) | श्री जयदीप रावत | सहायक आयुक्त |
| (iii) | श्री रजनीकान्त शाही | सहायक आयुक्त |

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र